



अवैध कच्ची शराब शराब बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार-

अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.06.2022 को थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र भागबली (उम्र 28 वर्ष) निवासी बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। जिसके संबंध में थाना जलालपुर पर मु0अ0सं0-98/22, धारा-60(2) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1) उ0नि0 वकील अहमद
- 2) का0 अभिषेक
- 3) का0 रामनरेश

